संख्या-50/2018/2194 ई-2/तेरह-2018-46/2017टी0सी0-1

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 02 जुलाई,2018

विषयः- वर्ष 2018-19 के लिए थोक अनुज्ञापनों हेतु आयुक्तालय में आफलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्न लाइसेंस फीस व जी0एस0टी0 के समेकित व अलग-अलग प्राप्त बैंक ड्राफ्टों को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-49/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19, दिनांक 07 जून, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें फार्मो के बिक्रय पर प्राप्त जी0एस0टी0 की धनराशि जमा करने हेतु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 व वित्त नियंत्रक, मुख्यालय के संयुक्त नाम से बैंक में बचत खाता खुलवाने की अनुमति देने अथवा इस कठिनाई के निराकरण हेतु किसी अन्य विकल्प पर मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-14/2018/508 ई-2/तेरह-2018-46/2017 टी0सी0, दिनांक 19 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-15/2018/544 ई-2/तेरह-2018-46/2017 टी0सी0, दिनांक 20 फरवरी, 2018 द्वारा ई-लाटरी प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थित की जाने वाली दुकानों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 की धनराशि एवं धरोहर धनराशि को केन्द्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराये जाने हेतु पंजाब नेशनल बैंक में एक केन्द्रीयकृत खाता खोलने एवं उसे दिनांक 30 जून, 2018 तक संचालित किये जाने की अनुमति वित्त विभाग की सहमति से कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। चूंकि बैंक खाता पूर्व से ही संचालित है, अतः प्रश्नगत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा करने हेतु इस खाते का ही प्रयोग किया जा सकता है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंजाब नेशनल बैंक में पूर्व में खोले गये उक्त केन्द्रीयकृत खाते को ही दिनांक 30.09.2018 तक संचालित किये जाने की अनुमति शासनादेश दिनांक 19 फरवरी,2018 एवं 20 फरवरी,2018 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-159/दस-2018, दिनांक 02 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

5- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

संख्या-50/2018/2194(1)ई-2/तेरह-2018-46/2017टी0सी0-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) वित्त(लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।